

अधिसूचना अंतर्गत क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट एक्ट, 1908

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 1975

(4) फा. क्रमांक 26-3-75-क्ष.एक.—चूंकि, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक एस. ओ. 304 (ई), एस.ओ. 30, एस.ओ. -306 (ई) तथा एस.ओ. 307 (ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा भारत रक्षा नियम, 1971 का नियम 33 नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित संस्थाओं को लागू कर दिया गया है।

और चूंकि, इण्डियन क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट एक्ट, 1908 (क्रमांक 14 सन् 1908) की धारा 17- ए से 17-ई तक के उपबंध उक्त नियम के उपनियम (4) द्वारा उक्त संस्थाओं को लागू होते हैं।

और चूंकि, राज्य शासन की यह राय है कि उक्त संस्थाओं के राज्य में, के कार्यालयों का उपयोग ऐसी संस्थाओं के प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है.

अतएव, इण्डियन क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1908 (क्रमांक 14 सन् 1908) की धारा 17-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त कार्यालयों को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

1. आनंद मार्ग
2. प्राउटिस्ट फोरम आफ इण्डिया
3. प्राउटिस्ट ब्लाक आफ इण्डिया
4. विश्वसंक्राति सेवा उर्फ वालिन्टिअर सर्विस
5. सेवा धर्म मिशन
6. एजुकेशन रिलीफ एण्ड वेलफेयर सेक्शन
7. प्रगतिशील भोजपुरी समाज
8. अंगिका समाज
9. वघेल खण्ड समाज
10. यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेबर फेडरेशन

11. यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टुडेन्ट्स फेडरेशन
12. रिनायसा यूनिवर्सल क्लब
13. रिनायसा आर्टिस्ट एण्ड रायडर्स एसोसियेशन
14. आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीप
15. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) चार मुजुमदार ग्रुप प्रोलिन पिआउफेक्शन
16. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट सबनिनिस्ट) (चार मुजुमदार ग्रुप एण्टीलिन पिआऊफेक्शन)
17. यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) एस. एम. सिंह चन्द्र पुल्ला रेड्डी ग्रुप
18. दी आन्ध्रप्रदेश कम्युनिस्ट कमेटी (रिवूलेशिनरी) (टी. नार्गरेड्डी ग्रूप)
19. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) (सुनीति घोष शर्मा फेक्शन)
20. ईस्टर्न इंडिया जोनल कन्सालिडेशन आफ कमेटी दी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट)
21. दी माउइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर
22. दी मुक्ति युद्ध ग्रुप
23. युनिटी सेन्टर आफ कम्युनिस्ट रिवूलेशिनरी आफ इण्डिया (मार्किस्ट लेनिनिस्ट)
24. सेंटर आफ इण्डिया कम्युनिस्ट
25. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
26. जमाल-ए-इस्लामी-ए-हिन्द।